# प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार गोरखपुर दिनांक 01.09.2022

## अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पुर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध व अपराधियो के लिये चलायें जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक उरुवा बाजार के द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबीर खास की सुचना पर अभियुक्ता गुड्डी देवी पत्नी स्व0 दयानन्द बेलदार निवासी बढया बुजुर्ग थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के कब्जे से नाजायज 01 प्लास्टिक की जरिकैन मे 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, व लगभग 200 ग्राम नौसादर बरामद हुआ है। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/2022 अन्तर्गत धारा 60/63 अबकारी अधि0 व धारा 272 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-</u>**

गुड्डी देवी पत्नी स्व0 दयानन्द बेलदार निवासी बढया बुजुर्ग थाना उरुवा बाजार जनपद

**<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>**

मु0अ0सं0 123/22 धारा 60/63 अबकारी अधि0 व धारा 272 भा0द0वि0 थाना उरूवा बाजार गोरखपुर

**<u>बरामदगी-</u>**

1. प्लास्टिक की जरिकैन मे 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 1 किलोग्राम यूरिया, व लगभग 200 ग्राम नौसादर
2. अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण</u>-**

1. उ0नि0 श्री रवि चौधरी थाना उरूवा बाजार गोरखपुर
2. हे0का0 अनिल कुमार यादव थाना उरूवा बाजार गोरखपुर
3. का0 विवेक वर्मा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
4. का0 विजय कुमार नाग थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
6. म0का0 आशा कुशवाहा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
7. म0कां0 प्रिया सिंह थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर